


विज्ञापित

प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या- 08 नो-के/ XXXVI-1/2024-08 नो-K/2018 न्याय अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 10 जून, 2024 के क्रम में जिला अल्मोड़ा के तहसील जैती में नोटरी के सृजित 01 रिक्त (इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 23-03-2024 को प्रेषित पैनल में प्राप्त आवेदन पत्र नोटरी नियम, 1956 के नियम-4(3) के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराये जाने के कारण अपूर्ण होने से) पद पर नोटरी नियुक्ति हेतु पुनः पैनल उपलब्ध कराया जाना है।

अतः तहसील जैती में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियमावली 1956 के नियम 3 के अनुसार अर्हता रखते हों, से नियम-4 के उपनियम (2) एवं (3) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उक्त नोटरी के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र नोटरी नियमावली 1956 के नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्धारित योग्यता के अनुरूप प्रारूप-I एवं प्रारूप-II में पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायाधीश अल्मोड़ा में दिनांक 30 जून, 2024 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 18 जून, 2024 को जारी।



(श्रीकान्त पाण्डेय),
जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा।

प्रशासनिक कार्यालय जिला न्यायाधीश अल्मोड़ा।

पत्रांक संख्या-628/IV-02/2018 अल्मोड़ा:: दिनांक:: 19 जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को, बार संघ के समस्त अधिवक्तागण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

- 1- अध्यक्ष/सचिव, जिला बार संघ अल्मोड़ा/जैती
- 2- श्रीमान् तहसीलदार, तहसील जैती, जिला अल्मोड़ा।
- 3- न्यायालय/बार संघ के कक्ष के नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।
- 4- सिस्टम सहायक (कम्प्यूटर) जिला न्यायालय अल्मोड़ा को न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जिला न्यायालय अल्मोड़ा।